राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701( )पंरावि/प्रशा.2/सहा.अभि./स्थाना.पद./ओप्रदा/17/1971

जयपुर, दिनांक :– 3.5.18

आदेश

श्री हेमचन्द यादव, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता (निलम्बित) मुख्यालय पंचायती राज को विभागीय आदेश क्रमांक 3627 दिनांक 20.9.17 द्वारा निलम्बन से बहाल किये जाने पर पंचायत समिति, विराटनगर (जयपुर) में सहायक अभियन्ता (मनरेगा) के रिक्त पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है ।

श्री यादव, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदस्थापित पंचायत समिति में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना विकास अधिकारी के माध्यम से विभाग को भिजवायेंगे ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मन्त्री, ग्रा. वि.एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा. वि.एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. जिला कलैक्टर, जयपुर ।
5. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, विराटनगर (जयपुर) ।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. श्री हेमचन्द यादव, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता हॉल मुख्यालय पंचायती राज को पालनार्थ ।
9. गार्ड फाईल ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव